8561 प0सु0/2020
22/06/2020

कार्यालय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
प्रशासन–गोण्डा।

पत्रांक : 3151 ()/सा0प्रशा0 / स0सु0(मार्गगतिनिबन्धनसूचना) / 2020 दिनांक : 17.06.2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम ,1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है;

और जंहा उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक–06–04–2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है;

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या– 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोण्डा जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार अनन्तिम रूप से निर्धारित की जाती है–

331
AC(RS)
18/6/2020
सुश्री
S.S
upload कराये।
19/6/2020

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1.	गोण्डा–बस्ती	दर्जीकुआं–मनकापुर–सादुल्लाहनगर–गौराचौकी तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2.	गोण्डा–बस्ती	दर्जीकुआं–मनकापुर–मसकनवां–खोंडारे तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3.	बालपुर–त्यौरासी	बालपुर–परसपुर–पसका वाया त्यौरासी तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
4	गोण्डा–लखनऊ	झंझरी–तरबगंज–अमदही बंधा तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
5	गोण्डा–अयोध्या	तरबगंज–सिंगहाचंदा–डुमरियाडीह –मोतीगंज तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
6	गोण्डा–बहराइच	करनैलगंज–आर्यनगर–भवानीपुर–खरगूपुर–महराजगंज तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
7	स्थानीय मार्ग	धानेपुर–दतौली तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
8.	गोण्डा–अयोध्या	भोगचंद–टिकरी–वजीरगंज तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
9.	गोण्डा–अयोध्या–लखनऊ	नवाबगंज–टेमवाघाट तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

10.	गोण्डा–बहराइच	बालपुर–कटरा तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
11.	गोण्डा–बलरामपुर	गोण्डा(मुर्गीफार्म)–कटरा–आर्यनगर–खरगूपुर–विसनापुर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
12.	गोण्डा–बस्ती	नयाघाट(अयोध्या)–कटरा–मखौड़ा मोड़–मसकनवां–श्रृंगारघाट तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
13.	गोण्डा–बहराइच	दुबहा बाजार–कौडिया–आर्यनगर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
14	गोण्डा–अयोध्या	रौचा–टिकरी तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
15	रगडगंज–बरौली	रगडगंज–बरौली तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
16	अमदही–परास	अमदही–परास तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
17	गोण्डा–लखनऊ	कर्नेलगंज–चचरी मोड–बरगदी–शाहपुर–भौरीगंज तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
18	गोण्डा–मोतीपुर	गोण्डा–सोनबरसा–पिपरा–भिटौरा–राजगढ–मोतीपुर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
19	उमरीबंधा–तरबगंज	उमरीबंधा–बेलसर–तरबगंज तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
20	गोण्डा–बलरामपुर	धानेपुर–दतौली–मनकापुर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
21	गोण्डा–बलरामपुर	गोण्डा–उतरौला तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
22	गोण्डा–लखनऊ	करनैलगंज बेलसर नवाबगंज मार्ग प्र0जि0मा0सं 46 तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
23	गोण्डा–बलरामपुर	गोण्डा–धानेपुर–उतरौला तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
24	गोण्डा–श्रावस्ती	गोण्डा–इटियाथोक–खरगूपुर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
25	गोण्डा–बलरामपुर	गोण्डा–इटियाथोक–बलरामपुर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
26	गोण्डा–लखनऊ	गोण्डा–करनैलगंज–जरवलरोड तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
27	गोण्डा–लखनऊ	गोण्डा–रगडगंज–परसपुर –करनैलगंज तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
28	गोण्डा–अयोध्या	लकडमण्डी–नवाबगंज–वजीरगंज–गोण्डा तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
29	गोण्डा–अयोध्या	करनैलगंज–तरबगंज–नवाबगंज तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा :–,

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एंव अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिश्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

अ) अग्नि शमन वाहन
ब) एम्बुलेंस ।
स) पुलिस वाहन।
द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

arto new file/pramod/2019

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम– 3 मे उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा– 112 की उप धारा (1) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक– 06–04–2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार सिंह)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद गोण्डा।

<u>पृ0सं0– स0सु0/2020 समदिनांकित–</u>
<u>प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।</u>

1– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0–756/स0सु0/2020–44स0सु0/2014–20 दिनांक 8.06.2020 के अनुपालन में।
2– अपर पुलिस महानिदेशक(यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3– जिलाधिकारी, गोण्डा।
4– पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
5– उप परिवहन आयुक्त(परि0) लखनऊ को उनके पत्र सं0–296/स0सु0/2020 दिनांक 15.06.2020 के कम में।
6– संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशा/प्रवर्तन) देवीपाटन गोण्डा।
7– निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
8– अधिषाशी अभियन्ता, प्रान्तीय/निमार्ण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।
9– महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी/पश्चिमी), उ0प्र0।
10– परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी), गोरखपुर, उ0प्र0।
11– सूचना निदेशक, जिला सूचना कार्यालय, गोण्डा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को स्थानीय समाचार पत्र के अगले अंक में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

17.6.20

(संजीव कुमार सिंह)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद गोण्डा।